18.7.22 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित।
मूल वाद पत्र निस्तारित हो चुका है।
ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र की कोई
आवश्यकता नहीं होने पर इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पूर्व में जारी
अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज
किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील
तामील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना